

9
9/16

अभिभाषक: अपील/रेसो/ उपस्थित
उत: पत्रावली वास्तु- वहत पत्रावली, रेसो पत्रावली
दिनांक 9-2-16 को पेश करें।

9
12/16

अभिभाषक: अपील/रेसो/ उपस्थित।
उत: पत्रावली वास्तु- रेसो, वहत पत्रावली
दिनांक 24-3-17 को पेश हों। (अभि. अपी. वी. वी. रेसो. वी.)
वहत हेतु सम्मन/ नलपाना भरकर पेश करें।

11-2-17

पत्रावली लोक अदालत में निर्णय करने हेतु पेश हुई। पत्रकारान के लोक अदालत में उपस्थित होकर निवेदन किया है कि मूल वाद राजीनामा के आधार पर निर्णित हो गया है। इसलिये चारा 212 R.T. एक्ट की मद्दत अपील इनके चयन हो चुकी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रकारान के सहमति में दिये गये तर्कों पर जोर दिया। चूंकि मूल वाद राजीनामा के आधार पर निर्णित होना पत्रावली आया है। इसी स्थिति में चारा 212 R.T. A. की मद्दत अपील इनके चयन होने के कारण स्वारिज की जाती है। पत्रावली कैलकुल हुआ है।

राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से अपील का निस्तारण करने के सहमति है।
Dinesh Yadav
A.P.

लोक अदालत
330 ति. अ. व. के
फ्लो. 603 डि. 37-
के दिनांक 11-2-17
की पत्रावली को
लोक अदालत

मुख्य अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर